XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2102–दो/14 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किय । यह प्रकरण अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करने के विरूद्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपनापक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूॅ । परिणामस्वरूप यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर केम्प भोपाल म0 प्र0

R-2102-II/14 निग0 क्रमांक...../14

रामा आ0 श्री कूका आयु 75 वर्ष जाति बलाई
निवासी ग्राम खजूरिया कासम तहसील आष्टा
जिला सीहोर म0 प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

ऊकार/सिंह आ0 रूगा जी वयस्क जाति बलाई
श्रीमती रेशम बाई पुत्री स्व0 रूगा वयस्क जाति बलाई
श्रीमती सोरम बाई पुत्री स्व0 रूगा वयस्क जाति बलाई
सभी निवासी ग्राम जावर तहसील जावर
जिला सीहोर म0 प्र0 .....रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा अपील क्रमांक 2/2011–12 ऊकार सिंह आदि विरूद्ध रामा मे पारित आदेश दिंनाक 25.03.2014 से असंतुष्ट एंव दुखी हेकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 44 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता के तहत संशोधन पंजी क्रमांक 5 दिनांक 05.06.1979 के नामांतरण को चुनौती दी हैं एंव अपील असत्य आधारों पर प्रस्तुत की है जबकि अपीलकर्तागण/रेस्पोडेन्ट ने अपील में यह उल्लेखित किया कि भूमि खसरा नम्बर 7/2क ,रकबा 5.00 एकड़ अपीलकर्ता के स्वामित्व आधीपत्य कि है एंव राजस्व कागजात में अपीलकर्तागण के नाम दर्ज रही हैं एंव अपीलकर्तागण के पिता रूगा का 55 वर्ष पूर्व मृत्यू हेा गई हैं।

2. यह कि अपीलकर्ता के नाना उमेद निवासी जावर को कोई पुत्र सन्तान नही थी उनके स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम जावर में स्थित है अपीलकर्तागण के नाना उमेद की पुत्र सन्तान नही होने के कारण और जमीन अधिक होने तथा वृद्धवस्था होने के कारण क वर्ष पूर्व अपीलकर्तागण को उनके नाना उमेद ने ग्राम जावर बुला लिया था। जब से अपीलकर्तागण अपने नाना उमेद की कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है ग्राम खजूरिया कासम की कृषि भूमि निगरानीकर्ता को बाटे से दी थी एंव अपना बटवाने हेतु दिनांक 16.10.2011 को ग्राम खजूरिया कासम निगरानीकर्ता के पास उसने फसल में हिस्सा देने से अपीलकर्तागण को मना कर दिया और कहने जमीन का मालिक हो गया हुॅ अब कोई हिस्सा नही मिलेगा। जमीन मेरे नाम है अब जमीन पर भी मत आ जाना अन्यथा अन्जाम अच्छा नही हेागा इस